पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0:–340/2025

1 हरजिन्द्र कौर पत्नी बलवन्तसिह जाति कम्बोज सिख निवासी चन्दूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ हाल आबाद टिब्बी।

वादीया

बनाम्

1. रविकुमार पुत्र महेन्द्र कुमार जाति बिश्नोई निवासी गिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
2. सुशीला पत्नी बृजलाल जाति अरोड़ा निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

प्रतिवादीगण

<u>डिक्री</u> दिनांक....18/8/25........

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महेश गौड व प्रतिवादी वकील सुनिल शर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चक नं० 2 एफटीपी के प०न० 221/235 मु0 49 किलानं0 4/.025 है0, 7/.025 है0 कुल .050 है0 आराजी की वादीया खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक न० 2 एफटीपी के खाता सं0 79/66 मे से प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ....18/8/25.... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।